भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
(अनसूची - ए मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
(SCHEDULE -A MINI RATNA-CATEGORY-1 PUBLIC SECTOR ENTERPRISE)
दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नै- 600 016
SOUTHERN REGION, CHENNAI – 600016
विज्ञापन सं.: द.क्षेत्र/01/2025
ADVT. NO. SR / 01 / 2025

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र में गैर-कार्यपालक पद की भर्ती

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.), संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे देश में भूमि और वायु क्षेत्र दोनों में नागर विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भा.वि.प्रा. को मिनी रत्न श्रेणी-1 का दर्जा प्रदान किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, **तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पुदुच्चेरी और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मूल निवासी** योग्य उम्मीदवारों से दक्षिणी क्षेत्र में निम्नलिखित **समूह-'ग'** पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार निम्नलिखित पद के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट **www.aai.aero** के माध्यम से "करियर" (CAREERS) टैब के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

I. वरिष्ठ सहायक (राजभाषा) के पद के लिए रिक्तियाँ और आरक्षण

पद कोड	पद का नाम, श्रेणी एवं वेतनमान	अ.ज. (एस.टी.)	**कुल**	ई.एस.एम.	पी.डबल्यू.बी.डी.			
					ए	बी	सी	डी&ई
01	वरिष्ठ सहायक (राजभाषा) **(एन.ई.-6)** (₹36000- 3% -110000)	01#	**01 #**	-	-	-	-	-

 # चूंकि यह पद अ.ज. (एस.टी.) वर्ग के लिए आरक्षित है, इसलिए केवल अ.ज. (एस.टी.) उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं।
रिक्त पद की संख्या अनंतिम है और भा.वि.प्रा. का एकल विवेक इस संख्या को कम या अधिक कर सकता है ।

प्रयुक्त संक्षिप्तियांः एस.टी. =अनुसूचित जनजाति, ई.एस.एम.= भूतपूर्व सैनिक, पी.डब्ल्यू.बी.डी. = बेंचमार्क दिव्यांगजन

पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी, **ए**=अंधापन और कम दृष्टि, **बी**=बधिर और कम सुनने वाले, **सी**=मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनापन, एसिड हमले के शिकार और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने में अक्षमता, **डी**=ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी, **ई**=बधिर-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगताएं।

बेंचमार्क विकलांगता (पी.डब्ल्यू.बी.डी.) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद की पहचान

पद कोड व पद	**कार्यात्मक आवश्यकताएँ**	**विकलांगता का विवरण**				
		ए	**बी**	**सी**	**डी**	**ई**
01-वरिष्ठ सहायक (राजभाषा)	एस, एस.टी., आर.डब्ल्यू., एसई, सी	बी, एल.वी.	डी, एच.एच.	कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन (डी.डबल्यू.), एसिड अटैक पीड़ित	विशिष्ट अधिगम विकलांगता (एस.एल.डी.)	बधिर-अंधेपन को छोड़कर उपर्युक्त (ए), (बी), (सी) और

				(ए.ए.वी.) सहित चलने-फिरने में अक्षमता। (ओ.ए., ओ.एल., बी.एल.)		(डी) में से बहु विकलांगता (एम.डी.)

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर :
एस: बैठना, एस.टी.: खड़े होना, आर.डब्ल्यू. : पढ़ना और लिखना, एच : सुनना, , सी : संचार, डब्ल्यू : चलना, एस.ई.: देखना, एम.एफ.: उंगलियों से संचालन, बी.एन. : झुकना, पी.पी. : खींचना और धकेलना, एल: उठाना, के.सी. : घुटने टेकना और दुबकना। ओ.ए. : एक हाथ, ओ.एल.: एक पैर, ओ.ए.एल. : एक हाथ और एक पैर, बी.एल. : दोनों पैर, बी.एल.ओ.ए. : दोनों पैर और एक हाथ, बी.एल.ए.: दोनों पैर और हाथ, बी.ए. : दोनों हाथ, बी: अंधा, एल.वी. : कम दृष्टि, एच.एच. : सुनने में कठिनाई, ओ.एच.: अस्थि बाधित, वी. एच. : दृष्टि बाधित, डी.डब्ल्यू. : बौनापन, ए.ए.वी.: एसिड अटैक पीड़ित,), एस.एल.डी.: विशेष सीखने की अक्षमता, एम.डी.: बहु विकलांगता।

पद के लिए उपयुक्त पहचानी गई विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित की जाएगी और आगे संशोधन, यदि कोई हो, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए केंद्र: (चेन्नई, बेंगलूरु, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और विजयवाड़ा)

नोट: रिक्तियों की संख्या अनंतिम है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के पास भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर रिक्तियों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। भा.वि.प्रा. के पास, आवश्यकता पड़ने पर, बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए, भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/परिवर्तित/प्रतिबंधित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है। प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
प्रक्रिया की अनुसूची

आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि	**21.11.2025 (10:00 बजे से)**
ऑनलाइन पंजीकरण के चरण I और II को पूरा करने की अंतिम तिथि	**20.12.2025 (22:55 बजे तक)**
ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि	भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा

(ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा)

1. परिलब्धियां:
मूल वेतन के अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमों और विनियमों के अनुसार स्वीकार्य महंगाई भत्ता, भत्ते, मकान किराया भत्ता और अन्य लाभ जिनमें सी.पी.एफ., ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, चिकित्सा लाभ आदि शामिल हैं।

2. आयु मानदंड
उम्मीदवारों की आयु **31.10.2025** को 18 से 30 वर्ष होगी और ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी :-

(i) दिनांक **31.10.2025** को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 वर्ष।

(ii) आयु, योग्यता, अनुभव आदि की गणना दिनांक **31.10.2025** के अनुसार की जाएगी।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा अवधि 3 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। ईएसएम उम्मीदवारों (भूतपूर्व सैनिकों) के लिए, समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेश के अनुसार आयु में छूट लागू है।

(iv) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नियमित सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (साथ ही अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट) है।

(v) विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी और पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष (अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक) तक है,

बशर्ते कि

- विधवाओं के मामले में, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और यह शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक पृथक्करण संबंधी न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति और यह शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(vi) दिव्यांगजनों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी (अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 15 वर्ष की छूट मिलेगी, जिसमें उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 05 वर्ष की छूट शामिल है)।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए आयु सीमा में छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी, जिनकी न्यूनतम 40% विकलांगता हो और जिनके पास केंद्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्ररूप में विकलांगता प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी : भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का अनुपालन समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

केवल मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी। जन्मतिथि में परिवर्तन के किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. योग्यता और अनुभव:

(i) वरिष्ठ सहायक (राजभाषा):

शैक्षणिक योग्यता	स्नातक स्तर पर अँगरेजी विषय के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर या स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अँगरेजी में स्नातकोत्तर । **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अँगरेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, साथ ही स्नातक स्तर पर हिन्दी और अँगरेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में। **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अँगरेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, साथ ही स्नातक स्तर पर हिन्दी और अँगरेजी माध्यम और अनिवार्य/वैकल्पिक विषय या परीक्षा माध्यम के रूप में होना चाहिए। अर्थात यदि स्नातक स्तर पर हिन्दी माध्यम है तो अँगरेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में होनी चाहिए या यदि अँगरेजी माध्यम है तो हिन्दी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में होनी चाहिए। **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ ही हिन्दी और अँगरेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा माध्यम और अन्य अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में, साथ ही हिन्दी से अँगरेजी और अँगरेजी से हिन्दी अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रमों या प्रतिष्ठित संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अँगरेजी और अँगरेजी से हिन्दी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
अनुभव	संबंधित विषय में दो वर्ष का प्रासंगिक **(योग्यता पश्चात******)** अनुभव।

****केवल पूर्णकालिक आधार पर योग्यता के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा, अर्थात पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव।**

4. **<u>चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम:</u>**

(I) **वरिष्ठ सहायक (राजभाषा)**

चरण-I
(क) लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा-सी.बी.टी.) - 100 अंक, अवधि: दो (2) घंटे

पाठ्यक्रम:
पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विषयों पर 50% प्रश्न: और सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि, सामान्य योग्यता और अँगरेजी आदि पर 50% प्रश्न।

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 100 में से 40 होंगे।

चरण-II
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (ऑनलाइन) उत्तीर्ण करने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा:
(क) बायोमेट्रिक उपस्थिति सत्यापन
(ख) दस्तावेज/प्रमाण-पत्र सत्यापन
(ग) एमएस ऑफिस (हिन्दी) में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा
कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा के लिए कुल अंक और अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:

विषय	**भार**	**प्रत्येक विषय में अर्हक अंक**
एम.एस.- वर्ड	20	10
एम.एस.-एक्सेल	20	10
एम.एस.-पावर प्वाइंट	10	5
कुल	**50**	**25**
टिप्पणी : परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।		

दस्तावेज/प्रमाण-पत्र सत्यापन चरण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार ही कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति सी.बी.टी. योग्यता के आधार पर होगी, बशर्ते दस्तावेज/प्रमाण-पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और एम.एस. ऑफिस (हिन्दी) में कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

5. **<u>आवेदन शुल्क:</u>**
चूंकि यह पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है तथा केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं, **इसलिए कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।**

6. **<u>ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देश:</u>**

टिप्पणी :
1. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र शीघ्र जमा करें और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि/समय का इंतजार न करें। यदि उम्मीदवार अंतिम समय की आपाधापी के कारण अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भा.वि.प्रा., दक्षिणी क्षेत्र जिम्मेदार नहीं होगा।

2. कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास रखें।

3. कृपया आवेदन पत्र या किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी भा.वि.प्रा., दक्षिणी क्षेत्र के कार्यालय को न भेजें।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ	
आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि	**21.11.2025 (10:00** बजे से **)**
आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि	**20.12.2025 (22.55** बजे तक **)**

7. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के निर्देश :-

सामान्य अनुदेश	
1.	आगे बढ़ने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले**,** उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज तैयार रखने चाहिए: क) वैध ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर - उचित संचार के लिए**,** व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर प्रदान करने का सुझाव दिया जाता है। ख) हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर की स्कैन की गई प्रति (जो **3** महीने से अधिक पुरानी न हो)। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसी तस्वीर का उपयोग किया जाए। ग) स्कैन किए गए हस्ताक्षर।
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा एक बार भरी गई श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें	
I.	उम्मीदवारों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. और मोबाइल नंबर होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहे। आवेदन क्रमांक, उपयोगकर्ता आई.डी., पासवर्ड और अन्य सभी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उसी पंजीकृत ई-मेल आई.डी. (*कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेलबॉक्स पर भेजा गया ईमेल आपके जंक/स्पैम फ़ोल्डर में न जाए*) और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएँगी।
II.	उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण देने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आप आवेदन जमा करने से पहले जानकारी संशोधित कर सकते हैं। **एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद, उसका संशोधन नहीं हो सकता ।**
III.	एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद उसे संशोधित/वापस नहीं लिया जा सकता ।
IV.	आवेदन जमा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
चरण-I साइन-अप	
क.	उम्मीदवार को सभी वांछित जानकारी जैसे **आवेदित पद, उम्मीदवार का नाम, ई-मेल आई.डी., मोबाइल नंबर** आदि सही-सही भरने चाहिए।
ख.	**आवेदित पद, श्रेणी, उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी.** भरकर साइन-अप करें। सबमिट (Submit) बटन/टैब पर क्लिक करने के बाद, उम्मीदवारों को साइन-अप के दौरान उनके पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर आवेदन **अनुक्रम संख्या (यूजर आई.डी.) और पासवर्ड** प्राप्त होगा। अब, उम्मीदवार को **"लॉग आउट" (Logout)** टैब (ऊपरी दाएँ कोने पर दिया गया) पर क्लिक करना होगा और चरण-II के लिए पुनः लॉग इन करना होगा। चरण-I पूरा होने पर, उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल आई.डी./मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी (आवेदन अनुक्रम संख्या) और पासवर्ड के साथ साइन-अप मेल प्राप्त होगा, जो उसके साइन-अप की पुष्टि करेगा।

चरण-II: आवेदन भरना	
ग.	साइन-अप करने के बाद, उम्मीदवार को पुनः लॉगिन करना होगा और ऊपरी दाएं कोने पर "**आवेदन-पत्र पर जाएं**" **(Go to Application Form)** आइकन पर क्लिक करना होगा, अपनी श्रेणी और अन्य अनिवार्य विवरण का चयन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण, योग्यता विवरण, फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
ड.	फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग के संबंध में निर्देश अभ्यर्थियों को नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार, जे.पी.जी./जे.पी.ई.जी./पी.डी.एफ. प्ररूप में अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई (डिजिटल) फोटो अपलोड करने होंगे: i. फ़ोटोग्राफ़ की छवि:

	• कृपया सफ़ेद पृष्ठभूमि वाली एक हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करें। • छवि का आकार न्यूनतम 100 के.बी. और अधिकतम 150 के.बी. होना चाहिए। • छवि .jpg या .jpeg प्ररूप में होनी चाहिए। • स्कैनर की डी.पी.आई. 200 डी.पी.आई. होनी चाहिए। • आयाम 3.5 सेमी x 4.5 सेमी होना चाहिए। ii. हस्ताक्षर की रूपरेखा: • आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करने होंगे। • हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही होने चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं। • कृपया केवल हस्ताक्षर वाले क्षेत्र को स्कैन करें, पूरे पृष्ठ को नहीं। • कृपया अपना नवीनतम हस्ताक्षर अपलोड करें: न्यूनतम 80 के.बी., अधिकतम 150 के.बी. (केवल JPEG और JPG प्ररूप में)। iii. अन्य प्रासंगिक सहायक दस्तावेज कृपया आवश्यकतानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रासंगिक प्रमाण-पत्र (स्व-प्रमाणित) स्कैन करके अपलोड करें (फाइल का आकार अधिकतम 1 एम.बी. होना चाहिए (केवल पी.डी.एफ., जे.पी.ई.जी. और जे.पी.जी. प्ररूप)) ➢ जन्म तिथि प्रमाण के रूप में एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र। ➢ आवेदित पद से संबंधित शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें अंकतालिका (यदि कोई हो) शामिल है। ➢ अनुभव प्रमाण-पत्र (योग्यता-उपरांत)। ➢ सामुदायिक प्रमाण-पत्र (स्थानीय अधिकृत सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत प्ररूप में।) ➢ दिव्यांगजनित विकलांगता प्रमाण-पत्र, केंद्र/राज्य सरकार (जहाँ भी लागू हो) द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी, दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में। ➢ अधिवास/निवास/जन्म प्रमाण-पत्र। (स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत प्ररूप में)। ➢ भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, निर्धारित प्रपत्र में सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति। ➢ एन.ओ.सी. (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र) ➢ भा.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए भा.वि.प्रा. पहचान पत्र (भा.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए लागू) **दर्ज किए गए विवरण देखने के लिए पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें।** **कृपया सबमिट करने से पहले सुनिश्चित करें कि आवेदन के सभी पहलू और फ़ोटो/हस्ताक्षर/अन्य संगत दस्तावेज सही हैं।** **कृपया ध्यान दें कि सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन को संपादित/संशोधित नहीं कर सकते।**
ङ.	ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तकनीकी प्रश्नों/स्पष्टीकरणों के लिए, कृपया आवेदन पोर्टल में एकीकृत हेल्पडेस्क टैब या हेल्पडेस्क नंबर के माध्यम से संपर्क करें: **+91-9513167660 (सोमवार से शनिवार सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक), अभियान का नाम: भा.वि.प्रा.- द.क्षे. 2025 परीक्षा**

8. सामान्य निर्देश:

8.1 **केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार जो *तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी***

***और लक्षद्वीप द्वीपसमूह* के मूल निवासी हैं, उपर्युक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।**

8.2 पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। वह आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले उसमें दी गई जानकारी की दोबारा जांच कर सकता है क्योंकि बाद में कोई सुधार संभव नहीं होगा।

8.3 गलत/झूठी जानकारी देने पर अभ्यर्थी अयोग्य हो जाएगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसी गलत/झूठी जानकारी देने के किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

8.4 आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के संबंध में पात्रता दिनांक **31.10.2025** के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

8.5 परिणाम की घोषणा/अंकपत्र जारी करने की तिथि योग्यता प्राप्त करने की तिथि मानी जाएगी और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

8.6 जहाँ भी सी.जी.पी.ए./ओ.जी.पी.ए. प्राप्त हुआ हो, उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों के समतुल्य प्रतिशत दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

8.7 सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.8 अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपना **मूल जाति प्रमाण-पत्र**, उसकी स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन पर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

8.9 उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर कंप्यूटर आधारित/ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। चरण-II चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को भा.वि.प्रा. दिशानिर्देशों के अनुसार आने-जाने का यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

8.10 शिक्षा और अन्य योग्यताएँ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से प्राप्त की जानी चाहिए।

8.11 **भूतपूर्व सैनिकों के मामले में,** आवेदक को डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी।

8.12 **बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पी.डबल्यू.बी.डी.)/दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में**, उक्त आवेदक को **केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रतिशत प्रमाण-पत्र** की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। *दृष्टिहीनता/चलन संबंधी विकलांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित-बी.ए.), मस्तिष्क पक्षाघात श्रेणी के पी.डबल्यू.बी.डी. उम्मीदवारों के मामले में, यदि उम्मीदवार चाहें तो उन्हें लिपिक की सुविधा दी जाएगी।*

- *अन्य श्रेणी के पी.डबल्यू.बी.डी. उम्मीदवारों के मामले में, लिपिक की सुविधा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिखने के लिए लिपिक आवश्यक है, जो भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफार्मा **(परिशिष्ट-I)** के अनुसार किसी सरकारी अस्पताल/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किया गया हो।*
- *अभ्यर्थी को अपने लिए स्वयं लिपिक चुनने या भा.वि.प्रा. द्वारा प्रदान की गई लिपिक सुविधा का लाभ उठाने का विवेकाधिकार होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उचित विकल्प देना होगा। यदि अभ्यर्थी स्वयं लिपिक का विकल्प चुनता है, तो लिपिक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त लिपिक भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत परीक्षा हेतु अभ्यर्थी/आवेदक नहीं होना चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांगता (पी.डबल्यू.बी.डी.) वाले अभ्यर्थी जो स्वयं लिपिक/वाचक का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र **(परिशिष्ट-II)** के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) के समय अपने लिपिक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।*

- *जिन अभ्यर्थियों को लिपिक का उपयोग करने की अनुमति है, उन्हें प्रति घंटे अधिकतम 20 मिनट का प्रतिपूरक समय*

दिया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अन्य सभी अभ्यर्थी जो लिपिक की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 40 मिनट की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जा सकती है।

8.13 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए केंद्र संभवतः दक्षिणी राज्यों **(चेन्नई, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और विजयवाड़ा)** में होंगे। <u>यदि चयनित शहरों में परीक्षा केंद्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है, तो निकटवर्ती कस्बे/शहरों में भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है।</u>

8.14 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र/विकलांगता प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र अँगरेजी में होना चाहिए। जाति के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8.15 दस्तावेजों के अँगरेजी में न होने पर, उन्हें राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित (प्रतिलिपि के रूप में) होना चाहिए।

8.16 ऑनलाइन/कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

8.17 न्यूनतम योग्यताएँ पूरी करने मात्र से उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार के आंतर पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.18 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान है, तो भाग 'क' (विषय से संबंधित प्रश्न) में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

8.19 पंजीकृत अभ्यर्थी की उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती या कार्यभार ग्रहण करने के बाद, यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पायी जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

8.20 अभ्यर्थी की पात्रता, पात्रता की जाँच के चरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और भर्ती से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित सभी मामलों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा।

8.21 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा और अन्य चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और चयन हेतु मानक और विनिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.22 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास बाद में तय किए गए किसी भी अन्य मानदंड के आधार पर परीक्षा केंद्र बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

8.23 उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र और कॉल पत्र पूर्णतः अनंतिम हैं। हालाँकि, यदि किसी अयोग्य उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी किया गया है और वह ऑनलाइन लिखित परीक्षा/टेस्ट में उपस्थित हुआ है या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में शामिल होने की अनुमति दी गई है, तो उसकी अयोग्यता के आधार पर भर्ती/सेवा के किसी भी चरण में उसकी उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द मानी जाएगी।

8.24 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर रिक्तियों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास, आवश्यकता पड़ने पर, बिना कोई अतिरिक्त सूचना जारी किए या कोई भी कारण बताए, भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/परिवर्तित/प्रतिबंधित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.25 चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। हालाँकि, उनकी नियुक्ति दक्षिणी क्षेत्र के हवाई अड्डों/कार्यालयों में होने की संभावना है।

8.26 किसी भी तरह से प्रचार करने और बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है।

8.27 चयन समिति के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती और यह अंतिम होगा तथा प्रत्येक उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।

8.28 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को न्यूनतम अर्हक अंक और अन्य पात्रता मानदंड निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

8.29 दस्तावेज सत्यापन के दौरान, उम्मीदवार को पहचान प्रमाण के साथ मूल प्रमाण पत्र और सभी प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों का एक सेट प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है या वह अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है या दस्तावेज़ों में जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

8.30 कृपया किसी भी अन्य अपडेट के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल खाते और भा.वि.प्रा. वेबसाइट देखते रहें।

8.31 इस संबंध में आगे की अधिसूचना/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर ही अधिसूचित किए जाएँगे।

8.32 इस विज्ञापन और/या इसके प्रत्युत्तर में किसी भी आवेदन से उत्पन्न किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल चेन्नई में ही की जा सकती है और किसी भी मामले/विवाद पर सुनवाई का एकमात्र और अनन्य अधिकार केवल चेन्नई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरमों के पास होगा। किसी भी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र चेन्नई स्थित न्यायालय होगा।

8.33 किसी भी विवाद की स्थिति में, भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन का अँगरेजी संस्करण ही विधिमान्य होगा ।

8.34 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी समाचार पत्र/वेबसाइट/मोबाइल ऐप आदि में प्रकाशित किसी भी प्रकार के सिद् धांतहीन/बेतुके विज्ञापनों का जवाब न दें। किसी भी जानकारी की प्रामाणिकता के लिए, उम्मीदवार केवल भा.वि.प्रा. की वेबसाइट www.aai.aero पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन देखें।

8.35 अपूर्ण आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.36 उम्मीदवारों का चयन अनंतिम होगा, जो पात्रता मानदंड, योग्यता, चरित्र और पूर्ववृत्त/पृष्ठभूमि जाँच, सामुदायिक प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र और उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगा और यह पद के लिए अपेक्षित चिकित्सा मानकों और भा.वि.प्रा. के नियमों के तहत नियुक्तियों के लिए लागू अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन भी होगा।

8.37 अंशकालिक/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त पद हेतु **निर्धारित मान्यता प्राप्त डिग्री धारक** भा.वि.प्रा. के विभागीय उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे।

8.38 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि इंटरनेट पर अत्यधिक लोड/वेबसाइट जाम/डिस्कनेक्शन के कारण भा.वि.प्रा. की वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/असफलता की संभावना से बचा जा सके।

8.39 उपर्युक्त कारणों से या भा.वि.प्रा. के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से उम्मीदवारों द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन जमा न कर पाने की स्थिति में भा.वि.प्रा. कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा।

9. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए केंद्र:

कंप्यूटर आधारित (ऑनलाइन) परीक्षा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के संभावित **शहर चेन्नई, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और विजयवाड़ा हैं।**

(i) ऑनलाइन परीक्षा और अन्य परीक्षणों की तिथि, समय और स्थान में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध

पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) तथापि, भा.वि.प्रा.-द. क्षेत्र/परीक्षा प्रशासक, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, अपने विवेकानुसार, किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

(iii) भा.वि.प्रा.-द. क्षेत्र/परीक्षा प्रशासक, उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र को आबंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

(iv) उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्चे पर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे और भा.वि.प्रा.-द. क्षेत्र किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(v) पद के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

(vi) परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार/दुर्व्यवहार करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है/इस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है तथा भा.वि.प्रा. द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

10. कदाचार के विरुद्ध कार्रवाई:

i. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सही जानकारी प्रस्तुत करें और "ऑन-लाइन" आवेदन भरते समय कोई भी ऐसा दस्तावेज/सूचना न दें जो झूठा, छेड़छाड़ किया हुआ, मनगढ़ंत हो या कोई भी महत्त्वपूर्ण जानकारी न छिपाएँ।

ii. भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में, यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कदाचार का दोषी पाया जाता है, जैसे कि

(क) किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना या किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण करवाना; या

(ख) चयन प्रक्रिया के दौरान अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित तरीके का सहारा लेना; या

(ग) किसी भी रूप में अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रचार करना/किसी भी तरह से अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना; या

(घ) किसी भी स्तर पर झूठे प्रमाण पत्र/दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करना या कोई भी जानकारी छिपाना; या

(ङ) परीक्षा में उपस्थित होते समय या उसके बाद अपनी श्रेणी (अनुसूचित जनजाति/पी.डबल्यू.बी.डी./भूतपूर्व सैनिक/भा.वि.प्रा. प्रशिक्षु) के बारे में गलत जानकारी देना; उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य कार्रवाई शुरू करने या कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी (यदि उचित समझा गया तो)।

11. ई-प्रवेश पत्र/कॉल पत्र:

ई-प्रवेश पत्र/कॉल पत्र, जिसमें उम्मीदवार का विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, श्रेणी/समुदाय, उप-श्रेणी, अपलोड किए गए हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, परीक्षा स्थल और पता, परीक्षा की तिथि और समय, अवधि, योजना, उम्मीदवार को दिए जाने वाले निर्देश आदि दर्शाए गए हों, डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचित किए जाएँगे।

योग्य उम्मीदवार को अपना ई-प्रवेश पत्र/कॉल पत्र भा.वि.प्रा. वेबसाइट से अपना विवरण जैसे लॉगिन आईडी (आवेदन अनुक्रम संख्या) और पासवर्ड दर्ज करके डाउनलोड करना चाहिए। ई-प्रवेश पत्र/कॉल पत्र की कोई

मुद्रित प्रति डाक/कूरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी। सभी सामान्य जानकारी भा.वि.प्रा. वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

12. घोषणाएँ:

भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी आगामी घोषणाएँ केवल भा.वि.प्रा. की वेबसाइट www.aai.aero पर "करियर" टैब के अंतर्गत समय-समय पर प्रकाशित/प्रस्तुत की जाएँगी।

13. भा.वि.प्रा. में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन संरक्षण भर्ती:

कर्मचारियों के वेतन संरक्षण का पालन सी.एच.आर.एम. परिपत्र संख्या 40)(a)/2020 और समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार किया जाएगा।

14. स्वीकरण

ऑनलाइन आवेदन सत्यापन नियम और प्ररूप भा.वि.प्रा. की वेबसाइट www.aai.aero पर "करियर" टैब के अंतर्गत प्रकाशित भर्ती विज्ञापन (विज्ञापन संख्या द.क्षेत्र/01/2025) पर आधारित हैं। हालाँकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती विज्ञापन/अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से जमा किए गए आवेदन का यह अर्थ नहीं है कि उम्मीदवार ने विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा किया है। संपूर्ण भर्ती/चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारी "पूर्णतः अनंतिम" है, बशर्ते कि भर्ती/चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों में आवेदित पद के लिए विज्ञापन (विज्ञापन संख्या द.क्षेत्र/01/2025) में उल्लिखित उम्मीदवार की पात्रता की जाँच लंबित हो। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार विज्ञापन के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों (जैसे आयु, समुदाय, श्रेणी, उप-श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता(एँ) और अनुभव आदि) के अनुरूप नहीं है, तो चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में और नियुक्ति के बाद भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भा.वि.प्रा., दक्षिणी क्षेत्र
14.11.2025

****